



प्रेषक,

राकेश कुमार मालपाणी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक अभियोजन,

अभियोजन निदेशालय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 09-05-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में लेखाशीर्षक 2014-न्याय प्रशासन-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-03-उ0प्र0 अभियोजन निदेशालय" के अंतर्गत अनुदान संख्या-28 में प्रावधानित बजट को निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-चार-6-1609-2025/1150/2026 दिनांक 13.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में अनुदान संख्या-28 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2014-114-03 में प्रावधानित धनराशि रूपये 30567.81 लाख के सापेक्ष निम्न तालिकानुसार उल्लिखित धनराशि रूपये 30557.81 लाख (रु० तीन अरब पांच करोड़ सत्तावन लाख इक्यासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नवत शर्तों के अधीन निदेशक, अभियोजन, अभियोजन निदेशालय के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 द्वारा निर्धारित नियम/शर्तों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(2) धनराशि को विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखा जाना मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हों, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) 'व्यय की नई मदों, अंशपूँजी विनियोजन, ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन की सहमति के उपरांत ही जारी किये जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4) अभियोजन निदेशालय द्वारा धनराशि स्वीकृत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति/अनियमितता न हो। किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति/अनियमितता हेतु अभियोजन निदेशालय उत्तरदायी होगा।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(6) निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के आलोक में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता /ऑडिट आपत्ति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभियोजन निदेशालय का होगा।

(7) उक्त धनराशि बजट मैनुअल फाइनेन्शियल हैण्डबुक से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(8) बजट के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाये एवं किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वर्ष 2026-27 की नई मदों में कार्यालय के लिए न किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षक: 2014001140300 (उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	धनराशि	अभियुक्ति
1	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	01 वेतन	1,63,85,67,000 (रुपये एक अरब तिरैसठ करोड़ पचासी लाख सड़सठ हजार मात्र)	-
2	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	02 मजदूरी	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)	-
3	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	1,06,50,69,000 (रुपये एक अरब छह करोड़ पचास लाख उनहत्तर हजार मात्र)	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	04 यात्रा व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)	-
5	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)	-
6	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	06 अन्य भत्ते	1,28,00,000 (रुपये एक करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र)	-
7	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	07 मानदेय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)	-
8	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	90,00,000 (रुपये नब्बे लाख मात्र)	-
9	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	09 विद्युत देय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)	-
10	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)	-
11	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

12	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)	-
13	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,25,00,000 (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)	-
14	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)	-
15	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)	-
16	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)	-
17	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	23 गुप्त सेवा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)	शेष रु0 10.00 लाख बाद में निर्गत किया जाएगा
18	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	29 अनुरक्षण	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

19	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	42 अन्य व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)	-
20	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)	-
21	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)	-
22	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3,50,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)	-
23	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)	-
24	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)	-
25	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	51 वर्दी व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)	-
26	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	12,55,45,000 (रुपये बारह करोड़ पचपन लाख पैंतालीस हजार मात्र)	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

27	028	2014001140300 उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4,50,00,000 (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)	-
	कुल			3,05,57,81,000 (रुपये तीन अरब पाँच करोड़ सत्तावन लाख इक्यासी हजार मात्र)	-

महायोग	3,05,57,81,000 (रुपये तीन अरब पाँच करोड़ सत्तावन लाख इक्यासी हजार मात्र)
--------	---

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राकेश कुमार मालपाणी
विशेष सचिव।

संख्या-09/2026/912(1)/6-पू0-9-2026-1998897, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार, लेखा परीक्षक (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
- (3) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- (5) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
- (6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार मालपाणी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।